रामेश्वर बनाम चन्द्रकला

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.03.2022	पत्रावली पेश हुयी। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। वकील अपीलाण्ट द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। सुना गया। वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया है। जबकि असल रैस्पो0 ना तो विवादित आराजी खसरा नम्बर 474 के खातेदार हैं एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है एवं ना ही कोई संबंध सारोकार नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना को स्थगित किये जाने का निवेदन किया। हमने गौर किया। अपीलाण्ट द्वारा अन्तरिम आदेश की अपील प्रस्तुत की गयी है। साधारणतः अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील संधारणीय नहीं है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2022 का है, जो दिनांक 19.04.2022 तक प्रभावी है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके आदेश दिनांक 09.03.2022 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। परन्तु अपीलाण्ट द्वारा इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना ग्राह्य नहीं है। अतः अपील संधारणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुन कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधि अनुरूप अधिकतम एक माह में निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हों। 28.03.2022 (अखिलेश कुमार पिपल) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	